### राज्यपाल के अवर सचिव Under Secretary to Governor



राज्यपाल का सचिवालय

राजभवन, छत्तीसगढ़, रायपुर - 492001

दूरभाव : 0771-23311**6**3/101

कैक्स : 0771-2331104

इंबेल rajbhavan.cg@nic.in

क्रमांक 5 4 3 % / 7519 / 2022 / रास / यू . प्रति. रायपुर, दिनांक उ०/09/2024

- 01. कुलसचिव, पंड़ित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
- 02. कुलसचिव, शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर, जगदलपुर, धरमपुरा–2, बस्तर।
- 03. कुलसचिव, संत गहिरा गुरू विश्वविद्यालय, अंम्बिकापुर, सरगुजा।
- 04 कुलसचिव, अटल बिहारी बाजवेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर।
- 05 कुलसचिव, हेमचंद यादव विश्वविद्यालय, रायपुर नाका, दुर्ग।
- 06 कुलसचिव, शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय, रायगढ़।
- 07 कुलसचिव, इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़।
- 08 कुलसचिव, छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर।
- 09 कुलसचिव, पं. सुन्दर लाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय, बिरकोना, बिलासपुर ।
- 10 कुलसचिव, इंदिरा गांधी कृषि ोश्वविद्यालय, जोरा, रायपुर।
- 11 कुलसचिव, दाऊ श्री वासुदेव चंद्राकर कामधेनु विश्वविद्यालय, अंजोरा, दुर्ग।
- 12 कुलसचिव, पं. दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ, उपरवारा, नवा रायपुर अटल नगर जिला-रायपुर।
- 13 कुलसचिव, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, पोस्ट-नेवई, दुर्ग।
- 14 कुलसचिव, डॉ. श्यामा प्रसाद युखर्जी अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रोद्योगिकी संस्थान, पुरखौती मुक्तांगन के पास, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर।
- 15 कुलसचिव, महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, सांकरा—पाटन, दुर्ग।

विषय :— महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ.प्र.), मॉ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ.प्र.), चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ.प्र.) एवं बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ.प्र.) में कुलपति पद पर नियुक्ति संबंधी विज्ञापन को विश्वविद्यालय वेबसाइट में अपलोड करने विषयक।

अपर मुख्य सचिव, माननीय राज्यपाल, उत्तर प्रदेश से विषय के संबंध में प्राप्त पत्र दिनांक 05.09.2024 की छायाप्रति सहपत्रों सहित संलग्न प्रेषित है ।

निर्देशानुसार, कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु संबंधी विज्ञापनों को विश्वविद्यालय की वेबसाइट में अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

Transfer of 10 2027

राज्यपाल के अवर सचिव

Thu, Sep 05, 2024 02:06 PM

रायप्र ( छ.ग.)

Lette E-6414/GS Dated 27-08-2024, E-6460/GS Dated 27-08-2024, E-6472/GS Dated 27-08-2024, E-6405/GS Dated 23-08-2024 to the Principal Secretary/Secretary to Governors, all the states for

Advertisement for the post of Vice Chancello

From: dseducationsecup@gmail.com

Subject: Letter E-6414/GS Dated 27-08-2024, E-646 Text and 27-08-2024, E-6472/GS Dated 27-08-2024, E-6405/GS Dated 23-08-2024 to the Principal Secretary/Secretary to Governors, all the states for Advertisement for the post of

Vice Chancello

**ᡮo:** Abdul Nazeer S < governor@ap.nic.in > , arunachalpradesh@gov.in, Prof. Jaqdish Mukhi <jagdishmukhi@nic.in>, Rajendra Vishwanath Arlekar <qovernorbihar@nic.in>, Miss. Archana Pandey <rajbhavan.cg@nic.in>, Shri P.S. Sreedharan Pillai <qovernor.goa@gov.in>, prisec-rajbhavan@gujarat.gov.in, secpress-gh@gujarat.gov.in, Governor of Haryana <governor@hry.nic.in>, Secretary To Governor <governorsecy-hp@nic.in>, Governor Office, Jharkhand <ihrgov@ihr.nic.in>, Thaawarchand Gehlot <governor.rbblr-ka@gov.in>, keralagovernor@gmail.com, keralarajbhavan@gmail.com, GOVERNORS SECRETARIAT MP <mprajbhavan@mp.gov.in>, Rajbhavan <governormh@nic.in>, Th. Ramananda Singh <rajbhavan.imp-mn@gov.in>, Rajbhavan Meghalaya <rajbhavan-meg@gov.in>, Governor Mizoram <governormz@gov.in>, Rajbhavan Kohima <rajbhavankohima@nic.in>, Governor Odisha <govodisha@nic.in>, ADMR CHD <admr-chd@nic.in>, osdhred rb <osdhred.rb@rajasthan.gov.in>, Secretary to Honble Governor <secy.rajbnsik@nic.in>, RAJ BHAVAN, CHENNAI <govtam@nic.in>, Abdul Nazeer S <governor.ap@nic.in>, rajbhavanagt@gmail.com, Governor Uttarakhand <he-</pre> ua@nic.in>, Governor of West Bengal <governor-wb@nic.in>, Lt Governor Andaman and Nicobar Islands < Ig@and.nic.in>, Sonika Singh <pstolq.delhi@nic.in>, Lt. Governor Secretariat, JK <rajbhawan-jk@nic.in>, RajNiwas Ladakh <rajniwas.ladakh@gov.in>, Lt Governor Office Pondicherry <ld><lq.pon@nic.in>, secy governor pb <secy.governor.pb@gmail.com>, Administrator DNH DD <administrator-dd-dnh@nic.in>, Praful Patel <lkadmin@nic.in>



Dear Sir/Madam

Pl. find the document attached herewith.

with regards,

Hemant Chaudhary Dy. Secretary to Governor, U.P.

- E-6460 GS Dated 27-08-2024.pdf
  765 KB
- **E-6405-GS Dated 23-08-2024.pdf** 695 KB
- **E-6472-GS Dated 27-08-2024.pdf** 728 KB
- **E-6414-GS Dated 27-08-2024.pdf** 747 KB

ई-मेल

### राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ—226027

संख्या : ई- 6460/ जी०एस०

दिनांक : अगस्त २३, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल, समस्त राज्य, भारत।

महोदय.

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ०प्र०) स्थापित हैं।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई—6347/2024, दिनांक अगस्त 22, 2024 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा० राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

भवदीय

(डॉ० सुधीर एम० बोबडे)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।



## महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ.प्र.) के कुलपित के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-6347 / 2024

दिनांक : अगस्त 22, 2024

महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा—12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपित के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपित का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपित के पद हेतु केवल वहीं व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपित विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसिलये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपित का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपित द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 04.10.2024 (शुक्रवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।

### RAJ BHAVAN, LUCKNOW

# NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MAHARAJA SUHEL DEV STATE UNIVERSITY, AZAMGARH (U.P.)

Advt. No. E-6347/2024

Dated: August 22, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Maharaja Suhel Dev State University, Azamgarh (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send nis/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 04-10-2024 (Friday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor, Uttar Pradesh.

### राज्यपाल संचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ–226027

संख्या : ई-*६५०५* / जी०एस०

दिनांक : अगस्त 🕹 , 2024

प्रेषक.

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव / सचिव, श्री राज्यपाल, समस्त राज्य, भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ०प्र०) स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई-6400/2024, दिनांक अगस्त 23, 2024 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपन् प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड करान का कष्ट करें।

भवदीय

संलग्नक :- यथोपरि।

(डॉo सुधीर एमo बोबडे) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।



## मॉ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

ोज्ञापन संख्या : ई-6400 / 2024

दिनांक : अगस्त 23, 2024

माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर (उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय धिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त धिनियम की धारा--12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा पनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, वे लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल ही व्यक्ति पात्र होना जिसने 68 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, तिलये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी हिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना हिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यस्त वर्तमान कुलाति का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त ज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपित द्वारा र्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक .10.2024 (बुधवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य<sup>ेर</sup>सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रवेश।

#### RAJ BHAVAN, LUCKNOW.

# NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR MAA SHAKUMBHARI UNIVERSITY, SAHARANPUR (U.P.)

Advt. No. E-6400/2024

Dated: August 23, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Maa Shakumbhari University, Saharanpur (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.


As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 09-10-2024 (Wednesday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,



### राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ–226027

संख्या : ई- 6472/ जी०एस०

दिनांक : अगस्त 🛂, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, समस्त राज्य, भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ़ (उ०प्र०) में एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई—6453/2024, दिनांक अगस्त 27, 2024 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

्भवदीय,

(डॉ० सुधीर एम० बोबडे)

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।

राज भवन, लखनऊ

### चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (ए.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-6453 / 2024

दिनांक : अगस्त 27, 2024

चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ(उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा—12 के अधीन गतित समिति द्वारा अनुसंक्षित गैनल में से कुलाधिपति के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपित का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, जे लिए होगा। कुलपित के पद हेतु केवल वहीं व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संरथागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलावित का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्ट होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपित द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

्राप्ति पद के लिए इच्छुक अग्यर्थी राज भवन की देवसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 04 अक्टूबर, 2024 (शुक्रवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल.

#### RAJ BHAVAN, LUCKNOW

# NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR CHAUDHARY CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT (U.P.)

Advt. No. E-6453/2024

Dated: August 27, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Chaudhary Charan Singh University, Meerut (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of the University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. He/She is required to have sound administrative acumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this advertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and working in the University is completed and the said advertised post becomes vacant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application Online only in prescribed format available on the website "www.upgovernor.gov.in" on or before 04 October, 2024 (Friday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor,
Uttar Pradesh.

### राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश लखनऊ—226027

संख्या : ई- 6414/ जी०एस

दिनांक : अगस्त 27, 2024

प्रेषक,

श्री राज्यपाल / कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।

सेवा में.

प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, समस्त राज्य, भारत।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ०प्र०) में एक प्राचीन विश्वविद्यालय स्थापित है।

उपर्युक्त विश्वविद्यालय के कुलपित पद पर नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया वर्तमान में विचाराधीन है। इस सम्बन्ध में विज्ञापन संख्या : ई—6410/2024, दिनांक अगस्त 24, 2024 (हिन्दी/अंग्रेजी की प्रति संलग्न) को प्रकाशित कराया जा रहा है। मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश द्वारा उपर्युक्त विज्ञापन को समस्त प्रदेशों के विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर भी अपलोड कराने के निर्देश दिये गये है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने प्रदेशों से सम्बन्धित विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर उपर्युक्त विज्ञापन को अपलोड कराने का कष्ट करें।

संलग्नक :- यथोपरि।

(डॉ0 सुधीर एम0 बोबडे) अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।



## बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी (उ.प्र.) के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-6410 / 2024

दिनांक : अगस्त 24, 2024

बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी(उ.प्र.), जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क. 10 सन् 1973) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपित की नियुक्ति उक्त अधिनियम की धारा—12 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपित के द्वारा की जानी प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि के लिए अथवा अपनी आयु 68 वर्ष पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, के लिए होगा। कुलपति के पद हेतु केवल वही व्यक्ति पात्र होगा जिसने 65 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो।

चूंकि कुलपित विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसिलये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यिनेष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ—साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

विश्वविद्यालय में नियुक्त व कार्यरत वर्तमान कुलपित का कार्यकाल पूर्ण हो जाने एवं उक्त विज्ञापित पद रिक्त होने के पश्चात् ही इस विज्ञापन के माध्यम से नवनियुक्त कुलपित द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 01 अक्टूबर, 2024 (मंगलवार) तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते है।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,

RAJ BHAVAN, LUCKNOW

# NOTICE INVITING APPLICATIONS FOR APPOINTMENT OF VICE CHANCELLOR FOR BUNDELKHAND UNIVERSITY, JHANSI (U.P.)

Advt. No. E-6410/2024

Dated: August 24, 2024

It is proposed to appoint the Vice-Chancellor for Bundelkhand University, Jhansi (U.P.), established under the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973 (No. 10 of 1973) by the Chancellor, out of a panel to be recommended by a Committee appointed in terms of Section- 12 of the said Act.

The Vice-Chancellor shall hold office for a term of 03 years from the date on which he/she enters upon his/her office or till he/she attains the age of 68 years whichever is earlier. Only such person shall be eligible for appointment to the office of Vice Chancellor who has not attained the age of 65 years.

As the Vice Chancellor is the Principal Executive and Academic Officer of he University, he/she should have highest level of competence, integrity, morals nd institutional commitment. He/She is required to have sound administrative cumen besides being a distinguished person in the field of Education.

The newly appointed Vice Chancellor can take charge through this divertisement only after the tenure of the present Vice Chancellor appointed and orking in the University is completed and the said advertised post becomes agant.

The applicant for the post of Vice-Chancellor may send his/her application aline only in prescribed format available on the website www.upgovernor.gov.in" on or before 01 October, 2024 (Tuesday).

Any application received after the prescribed date shall not be considered.

Additional Chief Secretary to the Governor, Uttar Pradesh.